जैनरेटिंग सेट के लिए आप केवल एक उद्योगपति को छूट देंगे। आप दोबारा इस पर विचार कीजिए। मैं आपको यह सुझाव देता हूं कि यदि एक उद्योगपति की क्षमता इसको लगाने की नहीं है, तो 5 या 10, 15 उद्योगपति मिल कर सामूहिक तरीके से, एक कलेक्टिव तरीके से इसको लगाना चाहते हैं, तो आप उनको क्यों नहीं इसके लिए इजाजत दे सकते। इसमें कौन-सी दिक्कत आपको है। उनके पास आप अगर सरप्लस बिजली है, तो एक उद्योगपति अपने एलाइड उद्योग को, अपने सिस्टर उद्योग को उसी प्लान्ट से बिजली क्यों नहीं दे सकता। इसलिए मेरा कहना यह है कि आवश्यकता के अनुरूप आप का यह जो बिजली सप्लाई का एक्ट है, इसमें संशोधन करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

मैं अंत में माननीय मंत्री जी के प्रयासों की प्रशंसा करता हूं, भूरी-भूरी प्रशंसा करता हूं लेकिन उनसे यह भी आशा रखता हूं क्योंकि वे एक बड़े अनुभवी मंत्री हैं और उन्होंने देहाती क्षेत्रों को भी देखा है कि उनकी क्या हालत है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए राजाध्यक्ष कमेटी जो बनी थी, उसने अपनी रिपोर्ट में इस बात को कहा है कि जहां तक रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को फैलाने की बात है, ग्रामीण विद्युतीकरण के विस्तार करने की योजना है, उस योजना में इस बात को नहीं देखना चाहिए कि उस पर कितना खर्च हो रहा है। उसको इस तरीके से नहीं देखना होगा कि उसका कमर्शियल पैटर्न कैसा है, उसको कैसे इस पैटर्न पर लाएं। आप इस तरीके से सोच कर इस ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना को चलाएं और अधिक से अधिक इस योजना का विस्तार करें।

राजस्थान के अन्दर और जो दूसरी पिछड़ी हुई स्टेटस हैं उनमें जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, उनमें ग्रामीण विद्युतीकरण योजना बहुत पीछे है और छटी पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य आपने रखे हैं, राजस्थान में 50 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति भी अभी तक नहीं हुई है। आपके पास बिजली की जेनरेशन की कमी है, इसलिए वह नहीं हुई है। आप के पास जो इक्युपमेंट्स चाहिए वे नहीं हैं, संसाधन नहीं हैं और इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसी तरह से आप के जो बिजली बोर्ड हैं, उनके पास न इंजीनियर हैं और न टैकनोक्रेट हैं...

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Yadav, you may continue tomorrow.

17.57 hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

Forty-seven Report.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH) : Sir, I beg to present the Forty-seventh Report of the Business Advisory Committee.

17.58 Hrs.

PAPER LAID ON THE TABLE—*Contd.*

Notification Under Customs Act, 1962

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S.B.P. PATTABHI RAMA RAO) : I beg to lay on the Table a copy each of Notification Nos. 219/83-Customs and 220/83-Customs (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 2nd August, 1983 together with an explanatory memorandum regarding increase in the rate of import duty (Basic + Auxiliary) on polyester chips from 175 per cent *ad valorem* to 250 per cent *ad valorem* under Section 159 of the Customs Act, 1962.

(Placed in Library. See No. LT-6790/83)

18.00 Hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, August 3, 1983/Sravana 11, 1905 (Saka)

Printed at S. Narayan & Sons, 7117/18, Pahari Dhiraj, Delhi-6.